न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

...कारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

...ख्या: 14/2024 — दर्ज दिनांक: 14.03.2024

...एस. न0: 2027/78 — निर्णय दिनांक: 09/01/2025

1. रामचन्द्र पुत्र औंकार जाति माली निवारी गुड़ा ढहर तहसील उदयपुरवाटी, झुंझुनूं।
2. जोधाराम पुत्र औंकार जाति माली निवारी गुड़ा ढहर तहसील उदयपुरवाटी, झुंझुनूं।
3. शीशराम पुत्र औंकार जाति माली निवारी गुड़ा ढहर तहसील उदयपुरवाटी, झुंझुनूं।
4. बाबुलाल पुत्र औंकार जाति माली निवारी गुड़ा ढहर तहसील उदयपुरवाटी, झुंझुनूं।
5. पूजा देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति माली निवारी गुड़ा ढहर तहसील उदयपुरवाटी, झुंझुनूं।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं।

अप्रार्थी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (राज.)

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय — दिनांक:– 9.01.2025

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम गुड़ा ढहर पटवार हल्का गुड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.15 हैक्टर अवस्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 रकबा 0.15 हैक्टर अवस्थित है जिसकी खातेदारी अप्रार्थी सख्या 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमियां में पूर्व में दिनांक 06.06.2017 से पूर्व शामलाती खातेदारी भूमि थी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने लोक अदालत कैम्प में सहमती से विभाजन करवाया था। विभाजन प्रस्ताव में भूमि खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.30 हैक्टर को दो भागों में विभाजित किया गया था। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.15 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सें में आया था तथा भूमि खसरा नम्बर 1483/1 जिसके वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 रकबा 0.15 हैक्टर प्रार्थीगण के हिस्सें में आया था। उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से भूमि खसरा नम्बर 1483 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी तथा भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया जो कि गलत दर्ज रिकार्ड हुआ। जिसको प्रार्थीगण ने शुद्ध करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त वर्णित भूमि के मौका पर कब्जा काश्त एवं राजस्व नक्शा को लेकर कोई विवाद नहीं है।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम गुड़ा ढहर पटवार हल्का गुड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.15 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम एवं भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर राजस्व रिकार्ड शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार उदयपुरवाटी से जबाव/तथ्यात्मक जांच प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता श्री जुगलकिशोर सैनी न्यायालय में हाजिर आए तथा कथन किया कि वे प्रार्थना पत्र का जबाब नहीं देना चाहते तथा उन्हें प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज नहीं है तथा इस आशय के आदेशिका पर हस्ताक्षर भी किये। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद तामिल न्यायालय में हाजीर नहीं आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम गुड़ा ढहर पटवार हल्का गुड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.15 हैक्टर अवस्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

CamScanner

भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 रकबा 0.15 हैक्टर अवस्थित है जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमियां में पूर्व में दिनांक 06.06.2017 से पूर्व शामलाती खातेदारी भूमि थी। व अप्रार्थी संख्या 1 ने लोक अदालत कैम्प में सहमती से विभाजन करवाया था। विभाजन प्रस्ताव में भूमि नम्बर 1483 रकबा 0.30 हैक्टर को दो भागों में विभाजित किया गया था। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार भूमि नम्बर 1483 रकबा 0.15 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आया था तथा भूमि खसरा नम्बर 1483/1 के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 रकबा 0.15 हैक्टर प्रार्थीगण के हिस्से में आया था। उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से भूमि खसरा नम्बर 1483 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी तथा भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दिया जो कि गलत दर्ज रिकार्ड हुआ। जिसको प्रार्थीगण ने शुद्ध करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त वर्णित भूमि के मौका पर कब्जा काश्त एवं राजस्व नक्शा को लेकर कोई विवाद नहीं है। अतः ग्राम गुड़ा ढहर पटवार हल्का गुड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.15 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम एवं भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर राजस्व रिकार्ड शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हें कोई एतराज आपत्ति नहीं है। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 ने कथन किया कि राज–हित के मध्यनजर निर्णय पारित किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजीयात पूर्व में शामलाती भूमि थी। दिनांक 06.06.2017 को उक्त वर्णित भूमि का सहखातेदारान के द्वारा लोक अदालत में सहमति से बंटवारा करवाया था लेकिन उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड कायम नहीं हुआ। जिसे शुद्ध करवाने के अधिकारी प्रार्थीण है। अप्रार्थी संख्या 1 को भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज आपत्ति नहीं है। तथ्यात्मक जॉच रिर्पोट तहसीलदार उदयपुरवाटी के अवलोकन से जाहिर होता है कि राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किया जाना अचित हैं उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 बैंक के रहन है, इसलिए उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गुड़ा ढहर पटवार हल्का गुड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1483 रकबा 0.15 हैक्टर सम्पूर्ण रकबा की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम एवं भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 रकबा 0.15 हैक्टर सम्पूर्ण रकबा की खातेदारी प्रार्थीगण 1 लगायत 5 के नाम से दर्ज कर राजस्व रिकार्ड शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्देशित किय जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 2573/1483 रहन मुक्त होने के पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में शुद्धि के बाबत् अमल दरामद किया जावे तहसीलदार उदयपुरवाटी को इस आशय की तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 09/01/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

CamScanner